फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती लोगरी **विपक्षी :– श्री नारायण**

किस्म मुकदमा – विविध **पत्रावली संख्या : 136/23**

जीसीएमएस : 2023/383

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.08.2024

पत्रावली हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना आदेश 9 नियम 13 जा.दी. मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत् दिनांक 29.08.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा न्यायालय में देरी का पर्याप्त कारण होना बताया हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं।

मूल वाद के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 195/22 दिनांक 10.04.23 को प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की अनुपस्थिति में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 15.12.22 को अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से कराकर रसीद पेश की। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 के सम्मन गांव राणाकुई तह. वल्लभनगर में भेजे गये थे जबकि प्रार्थीया/प्रतिवादी सं. 1 का निवास राणाकुई न होकर गांव गन्दोली तह. मावली में निवासरत होना बताया। प्रार्थीयां/प्रतिवादी सं. 1 का कथन है कि सम्मन उसके सही पते पर प्रेषित नहीं किये गये हैं। जिस वजह से उसे प्रकरण की जानकारी नहीं हो पाई और वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। जिस आधार पर प्रथम दृष्टया यह समझा जा सकता है कि प्रार्थीया को उक्त सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हुई हैं। प्रकरण में प्रार्थीया की अनुपस्थिति के कारण एकतरफा डिक्री पारित हो चुकी हैं। चूंकि प्रकरण को निस्तारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार थी। अतः खातेदार काश्तकार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए क्योंकि पूर्व में प्रार्थीया की तामील सही पते पर नहीं होने से प्रार्थीया को प्रकरण में साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिला। अतः प्रार्थीया को सुना जाना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण को न्यायहित में कोस्ट पर स्वीकार किया जाना उचित हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का 5,00/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण संख्या 136/23 में निर्णय व डिक्री दिनांक 10.04.2023 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थीया उक्त राशि जरिये चालान राजकोष में जमा करा रसीद पेश करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.08.23 11:37:45 IST
Reason: SelfAttested